कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / माध्य / संस्था / बी2 / 45001 / प्रधानाचार्य / डीपीसी / 2021–22 / पदस्थापन / 2022 / E-02456 / दिनांक २६.०५.२०२३

–: सूचना :–

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.07.2022 के द्वारा की गई अनुशंषानुसार प्राचार्य की वर्ष 2021–22 की मुख्य/नियमित डीपीसी उपरान्त **2083 को प्राचार्य एवं समकक्ष** पद (अनुसूची–1) पर पे–मैट्रिक्स लेवल–16 में चयन किया गया हैं। चयन संबंधी आदेश दिनांक 11.07.2022 द्वारा जारी किया जा चुका है, जिसकी सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ की जा चुकी हैं।

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.11.2022 द्वारा याचिका संख्या 9479/2022 प्रवीण सिंह व अन्य बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अन्तरिम आदेश दिनांक 11.07.2022 की पालना में चयनित प्रधानाचार्य–उमावि के 20 प्रतिशत कार्मिको का पदस्थापन रोकते हुए शेष पदस्थापन की कार्यवाही की गई थी। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2023 को अन्तरित निर्णय पारित कर पूर्व में पारित अन्तरित निर्णय दिनांक 11.07.2022 को संशोधित किया गया हैं। अतः आदेश दिनांक 11.07.2022 में विभागीय पदोन्नति चयनित समिति द्वारा चयनित प्रधानाचार्य–उमावि जिनका पूर्व में पदस्थापन आदेश विभाग द्वारा जारी नही किया गया हैं, उक्त कार्मिको के पदस्थापन आदेश प्राचार्य एवं समकक्ष पदों पर जारी करने हेतु **"ऑनलाईन काउन्सलिंग"** की वरियता निर्धारण की जानी हैं। वरियता निर्धारण हेतु निम्नांकित **विशेष वर्ग** की जानकारी/सूचनाएं संलग्न प्रपत्र में अपेक्षित है :–

क्र.सं.	विशेष वर्ग का विवरण
1.	दिव्यांग/विकलांग व्यक्ति प्रमाण पत्र सहित
2.	असाध्य रोग स े पीडित व्यक्ति (कैंसर (CANCER), गुर्दा प्रत्यारोपण (KIDNEY TRANSPLANT) एवं हृदय शल्य चिकित्सा (OPEN HEART SURGERY)) (उपरोक्त रोग से संबंधित चिकित्सक प्रमाण–पत्र)
3.	विधवा महिला (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र)
4.	परित्यकता महिला (सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री की प्रति)
5.	एकल महिला अभ्यर्थी (शपथ पत्र)
6.	महिला अभ्यर्थी
7.	भूतपूर्व सैनिक

चयनित कार्मिकों की संलग्न सूची में यदि कोई कार्मिक उपर्युक्त उल्लेखित विशेष वर्ग में हैं, तो वे संलग्न प्रारूप में सूचना, दिनांक 30.04.2023 तक विभागीय मेल आई.डी.– vp.posting@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवावें।

उपरोक्त उल्लेखित विशेषवर्ग (1 से 4 एवं 7) के चयनित कार्मिक ही **संलग्न प्रारूप में सूचना** भिजवायेगें एवं विशेष वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज भी आवश्यक रूप से प्रारूप के साथ संलग्न करेगें। स्पष्ट किया जाता है कि :–

असाध्य रोगों में सिर्फ कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण एवं हृदय शल्य चिकित्सा (हार्ट बाय–पास सर्जरी) से संबंधित कार्मिक ही आवेदन प्रस्तुत करें। विशेष वर्ग से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर तथा निर्धारित तिथि तक सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में, उक्त चयनित कार्मिकों को विशेष वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकेगा।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

–: सूचना प्रारूप :–

01. कार्मिक का नाम मय पद :– ....
02. एम्पलोई आई.डी. संख्या :– ....
03. मोबाईल नम्बर :– ....
04. कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन :– ....
05. पदोन्नति पद :– प्राचार्य (डीपीसी वर्ष 2021–22)
06. वरिष्ठता क्रमॉक / वर्ष :–
07. विशेष वर्ग की क्र.स. जिससे संबंधित हैं :–
08. विशेष वर्ग निम्नांकित में से, चिन्हित (√) करें :–

क्र.सं.	विशेष वर्ग का विवरण
1.	दिव्यांग / विकलांग व्यक्ति प्रमाण पत्र सहित
2.	असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति (कैंसर (CANCER), गुर्दा प्रत्यारोपण (KIDNEY TRANSPLANT) एवं हद्‌य शल्य चिकित्सा (OPEN HEART SURGERY)) **(उपरोक्त रोग से संबंधित चिकित्सक प्रमाण–पत्र)**
3.	विधवा महिला(पति का मृत्यु प्रमाण पत्र)
4.	परित्यकता महिला (सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री की प्रति)
5.	एकल महिला अभ्यर्थी (शपथ पत्र)
6.	महिला अभ्यर्थी
7.	भूतपूर्व सैनिक

संलग्नः– प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर

(नाम मय वर्तमान पदस्थापन)